अनुसूची-5

(100/- के नानज्युडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

(छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्ध पत्र (बाण्ड) का प्रारूप)

1. मैं......................................पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..

निवासी....................................छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रममें प्रवेशित अभ्यर्थी हूँ । मेरा चयन एमबीबीएस /एमडी/एमएस/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु सामान्य/आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हुआ है ।

2. यह कि मुझे वर्ष 2015 में आयोजित ''पीएमटी/प्रीपीजी''2015 प्रवेश परीक्षा से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय..............................में शैक्षणिक सत्र 2015-16 में .... सीट आबंटित की गई है ।

3. यह कि वर्ष 2015-16 की काउंसलिंग के पूर्व मैंने छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक....................रायपुर दिनांक .... छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के ....पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमों को पढ़कर भली भॉंति समझ लिया है । उपरोक्त अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक ....जिसमें राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्ध पत्र निष्पादित करने संबंधित जानकारियाँ दी गई हैं, जिसे मैंने भली भॉंति समझ लिया है एवं मैं उक्त नियम की सभी बिन्दुओं से सहमत हूँ ।

4. मैं एतद् द्वारा बन्ध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता/करती हूँ, कि मैं एमबीबीएस/ एमडी/ एमएस/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरान्त राज्य शासन के अधीन दो वर्षों की कालावधि तक अनिवार्य रूप से कार्य करूंगा/कररूंगी ।

5. यह कि इस बन्ध पत्र का उल्लंघन होने की दशा में शासन को अधिकार होगा कि मेरी चल व अचल संपत्ति से अथवा इस बन्ध पत्र में मेरे प्रतिभूति के रूप में हस्ताक्षरकर्ता श्री................................. पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री...निवासी.................................की चल व अचल संपत्ति (संपत्ति का सम्पूर्ण विवरण) से इस बन्ध पत्र की राशि रूपये ....शब्दों में (रूपए ....) कि वसूली व साथ ही पाठ्यक्रम अवधि के दौरान शासन द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति की सम्पूर्ण राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जावेगी ।

6. जब तक पूरी राशि की वसूली नहीं हो जाती तब तक मुझे आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जायेगा ।

7. आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् मैं अपने महाविद्यालय के अधिष्ठाता को उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूंगा/करूंगी जिसके अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जावेगी व राज्य मेडिकल बोर्ड में स्नातक/स्नातकोत्तर योग्यता का स्थायी पंजीयन मुझे प्राप्त अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जावेगा ।

8. एम.बी.बी.एस. /एमडी/एमएस/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की सूचना विश्वविद्यालय से प्राप्ति के छः माह के भीतर यदि आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नियुक्ति आदेश जारी नहीं करते है तो यह बन्धपत्र स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।

9. यह कि मुझे ज्ञात है ,कि विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

गवाह:-

1................................. हस्ताक्षर

2................................ आवेदक/निष्पादनकर्ता

<u>प्रतिभूतिकर्ता</u>

मैं.................................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...निवासी ....उपरोक्तानुसार बन्धपत्र के लिए प्रतिभूति तथा बन्ध पत्र के उल्लंघन की दशा में बन्ध पत्र में उल्लेखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी।

गवाह:-

1................................. हस्ताक्षर

2................................ आवेदक/निष्पादनकर्ता

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015 .